भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 6317
दिनांक 02.04.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेयजल नमूनों की जांच

†6317. डॉ. काकोली घोष दस्तीदारः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जांच किए गए पेयजल नमूनों की संख्या और उनमें से संदूषित पाए गए नमूनों की संख्या का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-बार ब्यौरा क्या है;
(ख) बार-बार चिह्नित किए गए क्षेत्रों की जिला-वार सूची और इस प्रयोजनार्थ इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा सहित की गई सुधारात्मक कार्रवाइयों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार संदूषित नमूनों के रुझान और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का एक सार्वजनिक डैशबोर्ड रखेगी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग): अगस्त 2019 में, राज्यों की भागीदारी के साथ, जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल शुरू किया गया था ताकि ग्रामीण परिवारों हेतु निर्धारित गुणवत्ता वाली पर्याप्त मात्रा तथा नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के तहत आने वाली योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता के लिए जल नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम बनाने के लिए, और पेयजल के नमूना संग्रह, रिपोर्टिंग, निगरानी तथा पर्यवेक्षण के लिए, एक ऑनलाइन जेजेएम-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (जेजेएम-डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। डब्ल्यूक्यूएमआईएस के माध्यम से सूचित किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार विवरण पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे https://ejalshakti.gov.in/WQMIS/Main/report पर देखा जा सकता है। 2023-24,

2024-25 और 2025-26 (31.03.2026 तक) के दौरान परीक्षण किए गए पेयजल के नमूनों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

विभिन्न हितधारकों के परामर्श से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मार्गदर्शन के लिए दिसंबर 2024 में 'ग्रामीण परिवारों को पाइपगत पेयजल आपूर्ति की जल गुणवत्ता की निगरानी हेतु संक्षिप्त पुस्तिका' जारी की गई है। इस पुस्तिका में विभिन्न परीक्षण बिंदुओं जैसे स्रोत, शोधन संयंत्र, भंडारण और संवितरण स्थलों पर पेयजल के नमूनों का व्यापक परीक्षण करने और जहां भी आवश्यक हो, उपचारात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवारों को आपूर्ति किया गया जल निर्धारित गुणवत्ता का है। इसके अलावा, इस पुस्तिका में यह परिकल्पना की गई है कि भूगर्भीय स्थिति और किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले संदूषण के आधार पर, एसडब्ल्यूएसएम को सावधानीपूर्वक विचार करते हुए उन मापदंडों की सूची घोषित करनी चाहिए जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पीडब्ल्यूएस की जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए।

राज्य जल और स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) डैशबोर्ड तथा जिला जल और स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) डैशबोर्ड को क्रमशः राज्य स्तर और जिला स्तर पर जेजेएम के तहत हुई प्रगति के विभिन्न पहलुओं की निगरानी के लिए जेजेएम-आईएमआईएस पोर्टल पर विकसित किया गया है। दोनों डैशबोर्ड दूषित नमूनों और की गई उपचारात्मक कार्रवाई सहित जल गुणवत्ता निगरानी डेटा को दर्शाते हैं।

जेजेएम डैशबोर्ड पर एक "सिटीजन कॉर्नर" भी विकसित किया गया है। "सिटीजन कॉर्नर" में ग्रामीण क्षेत्रों में पीडब्ल्यूएस के माध्यम से जल आपूर्ति की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता का प्रसार करने और लोगों में विश्वास सृजित करने के लिए पब्लिक डोमेन में ग्राम स्तर के जल गुणवत्ता परीक्षण परिणामों को दर्शाना शामिल है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने सूचित किया है कि 1 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 की अवधि के दौरान अमृत 2.0 प्लेटफॉर्म पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में जल शोधन संयंत्रों (डब्ल्यूटीपी) में परीक्षण किए गए 3,35,278 नमूनों में से कुल 3,32,170 जल गुणवत्ता नमूने और पारिवारिक स्तर पर परीक्षण किए गए 22,45,200 नमूनों में से 22,18,838 नमूने ई. कोलाई, आर्सेनिक और फ्लोराइड मानदंड़ों के अनुपालन में पाए गए। शहरी क्षेत्रों में जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार विवरण वेबसाइट - https://amrut.mohua.gov.in/wqa/dashboard पर उपलब्ध है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने जल आपूर्ति परियोजनाओं के डिजाइन, कार्यान्वयन, पेयजल गुणवत्ता तथा निगरानी हेतु राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के संदर्भ के लिए मार्च 2024 में जल आपूर्ति और शोधन प्रणालियों (नल से पेय) संबंधी नियमावली प्रकाशित की है। (https://mohua.gov.in/publication/manual-on-water-supplyandtreatment-systems---drink-from-tap---march-2024.php)।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने नवंबर, 2024 में अमृत 2.0 के तहत सभी राज्यों को राज्य या शहरी स्तर पर जल गुणवत्ता निगरानी संबंधी कार्यनीति तैयार करने तथा सार्वजनिक सूचना और जागरूकता के लिए जल गुणवत्ता मापदंडों के लिए डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता की शहरव्यापी निगरानी हेतु संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए एक परामर्शी-पत्र 'सामुदायिक भागीदारी के जरिए शहरों में जल गुणवत्ता निगरानी का सुदृढ़ीकरण' जारी किया है।

केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने सूचित किया है कि वह अपने निगरानी कार्यक्रम के माध्यम से एकत्र किए गए भूजल नमूनों के विश्लेषण के आधार पर भूजल गुणवत्ता मूल्यांकन करता है। इस निगरानी के माध्यम से उत्पन्न रासायनिक विश्लेषण डेटा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट -2025 में प्रकाशित किया गया है और सीजीडब्ल्यूबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस रिपोर्ट में विद्युत चालकता, फ्लोराइड, नाइट्रेट, लौह, आर्सेनिक, यूरेनियम और अन्य जैसे विभिन्न पैरामीटरों के लिए अनुमेय सीमा से ऊपर पाए गए भूजल नमूनों की संख्या/प्रतिशत का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा शामिल है।

अनुबंध

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार द्वारा दिनांक 02.04.2026 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 6317 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पेयजल नमूनों का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25		वित्त वर्ष 2025-26 (31.03.2026 तक)	
		प्रयोगशाला में जांचे गए नमूनों की संख्या	एफटीके का उपयोग करके परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या	प्रयोगशाला में जांचे गए नमूनों की संख्या	एफटीके का उपयोग करके परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या	प्रयोगशाला में जांचे गए नमूनों की संख्या	एफटीके का उपयोग करके परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	984	351	1,172	160	2,717	1,550
2	आंध्र प्रदेश	6,99,999	4,64,831	6,86,179	2,76,342	7,08,391	3,55,204
3	अरुणाचल प्रदेश	39,238	33,490	22,271	10,689	10,260	3,886
4	असम	2,97,405	12,14,852	2,70,466	8,37,769	2,02,272	4,22,531
5	बिहार	1,60,783	49,736	2,74,547	1412	1,36,072	29,531
6	छत्तीसगढ़	1,23,175	2,97,229	1,60,891	2,03,657	1,00,123	1,11,946
7	दादरा नगर हवेली और दमण व दीव	0	3,060	0	178	0	0
8	गोवा	10,336	22	13,660	0	7,490	0
9	गुजरात	1,53,057	2,92,444	71,204	4,25,718	3,04,428	2,79,740
10	हरियाणा	69,702	37,996	60,757	16,896	41,042	252
11	हिमाचल प्रदेश	2,20,428	1,47,982	2,41,458	1,30,389	2,71,715	2,76,173
12	जम्मू और कश्मीर	2,53,364	34,793	2,66,547	2,129	3,07,793	32
13	झारखंड	2,14,431	7,85,488	2,18,562	6,99,655	2,07,658	2,81,973
14	कर्नाटक	2,66,532	2,15,742	3,21,759	9,21,677	2,50,642	8,01,047
15	केरल	6,36,043	2,27,651	7,00,732	612	3,57,103	9,899
16	लद्दाख	7,706	1,809	10,229	623	8,325	461
17	लक्षद्वीप	6,880	475	7,897	0	3,575	20
18	मध्य प्रदेश	5,74,409	6,56,077	5,74,798	3,52,198	4,83,001	1,67,915
19	महाराष्ट्र	6,42,396	2,46,187	5,87,570	3,56,666	5,44,432	3,59,565
20	मणिपुर	17,413	16,352	19,508	11,085	5,760	1,462
21	मेघालय	51,836	17,172	40,657	14,606	37,123	9,673
22	मिजोरम	29,224	7,381	21,908	3,377	7,741	1,198
23	नागालैंड	7,947	20,249	6,751	15,590	1,258	6,279
24	ओडिशा	2,60,445	4,02,332	2,72,406	2,49,298	2,39,677	3,79,091
25	पुडुचेरी	818	0	287	18	0	0
26	पंजाब	33,107	1,46,504	67,481	1,14,956	69,588	87,625
27	राजस्थान	1,98,476	3,64,778	1,80,063	66,845	71,356	10,495
28	सिक्किम	15,527	9,566	17,297	5,803	7,718	49
29	तमिलनाडु	8,48,706	9,12,785	9,07,742	4,40,081	9,40,856	47,997
30	तेलंगाना	2,91,673	1	2,85,183	0	2,75,675	0
31	त्रिपुरा	50,701	61,371	82,287	52,494	55,436	20,508
32	उत्तर प्रदेश	6,23,246	35,89,028	1,067,899	38,34,685	8,24,583	10,26,518
33	उत्तराखंड	1,19,958	34,975	1,25,553	1,520	1,05,202	33
34	पश्चिम बंगाल	5,74,096	5,61,487	6,82,526	3,37,058	4,70,382	2,73,627
कुल		**75,00,041**	**1,08,54,196**	**82,68,247**	**93,84,186**	**70,59,394**	**49,66,280**

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस